

(TO BE PUBLISHED IN THE DELHI GAZETTE PART IV EXTRAORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT  
DELHI SECRETARIAT, I.P. ESTATE, NEW DELHI-02

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16/DSF-VI/

Dated the \_\_\_\_\_ 2015

NOTIFICATION

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16  
Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No.8 of 1997), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Entertainments and Betting Tax Rules, 1997, namely :-

Short title and

- (1) These rules may be called the Delhi Entertainments and Betting Tax (Amendment) Rules, 2015.  
(2) They shall come into force with effect from 20<sup>th</sup> July, 2015.

Amendment of Rule 40

- In the Delhi Entertainments and Betting Tax Rules, 1997, -  
(1) in rule 40, for the figure "15" the figure "20" shall be substituted.  
(2) in rule 47, for the figure "10" the figure "20" shall be substituted.

By order and in the name of the  
Lieutenant Governor of the National  
Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)  
Deputy Secretary-VI (Finance)

Dated the 15/7/ 2015

No. F.12(3)/Fin(Rev-I)/2015-16/DSF-VII 538

Copy forwarded to the following for information and further necessary action:-

- The Pr. Secretary (GAD), Government of NCT of Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette Part-IV (extraordinary) in today's date.
- The Pr. Secretary to Lt. Governor, Raj Niwas, Delhi.
- The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
- The Commissioner (Excise), Govt. of NCT of Delhi, L-Block, Vikas Bhawan, New Delhi
- The Addl. Secretary (L&J), Government of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- Web site.
- Guard File.

(Ravinder Kumar)  
Deputy Secretary-VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र भाग - 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व -I) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली -110002

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16/डीएसएफ-VI/

दिनांक :

अधिसूचना

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16  
दिल्ली अधिनियम सं० 08) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,  
दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर नियमावली, 1997 में पुनः संशोधन करके निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :- 1. (1) इन नियमों को दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाएगा ।  
(2) यह अधिसूचना 20 जुलाई, 2015 से प्रभावी होगी ।
2. नियम 40 का संशोधन:- 2. दिल्ली मनोरंजन एवं बाजीकर नियमावली, 1997 में -  
(1) नियम 40 में, "15" अंक के स्थान पर "20" अंक को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।  
(2) नियम 47 में, "10" अंक के स्थान पर "20" अंक को प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,

( रविन्द्र कुमार )

उप- सचिव -VI (वित्त)

दिनांक : 15/7/15

सं.फा. 12 (3)/वित्त (राजस्व-1)/2015-16/डीएसएफ-VI/538

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित:-

- 1 प्रधान सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, दिल्ली सचिवालय, आई०पी०एस्टेट, नई दिल्ली को आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग-चार में प्रकाशनार्थ एक अतिरिक्त प्रति सहित ।
- 2 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राजनिवास, दिल्ली ।
- 3 सचिव, वित्त मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 4 आयुक्त आबकारी, एल एंड एन-ब्लाक, विकास भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली ।
- 5 अतिरिक्त सचिव (विधि एवं न्याय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 6 वेबसाइट ।
- 7 गार्ड फाइल ।

( रविन्द्र कुमार )

उप- सचिव -VI (वित्त)